

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म०पृ० ग्वालियर, सर्किंट कोर्ट रीवा, म०पृ०.

III/विभा/रीवा/क्र. 2017/4186  
निगरानी क्र०/ 1017



01- सुरेश कुमार उपाध्याय

→ 301-

02- अवधेश कुमार उपाध्याय

- तीनों के पिता स्व० समर्पित कुमार उपाध्याय

03- दिनेश कुमार उपाध्याय

1 1

04- अजेष कुमार उपाध्याय

1 1

05- रमेश कुमार उपाध्याय

1 1

06- व्योमेश कुमार उपाध्याय तनय दिनेश कुमार उपाध्याय

आवेदन क्र० 4 अभी  
क्र० 1017 अप्र० 2017

दिनांक 03-11-17  
मा।

कलक आफ कोटि  
राजस्व मण्डल म०पृ० ग्वालियर  
(सर्किंट कोटि) रीवा

01- कुमुम कली उपाध्याय विधवापत्नी लक्ष्मी कान्त उपाध्याय

----- आवेदकगण

02- उमेश कुमार उपाध्याय तनय शिव कुमार उपाध्याय

निवासीगण ग्राम गुढ, तहसील गुढ, जिला रीवा, म०पृ०.

----- अनावेदकगण.

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय

अधिकारी, गुढ, आदेश दिनांक 17.08.017

राजस्व प्रकरण क्र० 19/अमील/2017-18 मे पारित ।

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०पृ० भू० रा० स० 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन के आधार निम्नलिखित है :-

1011 यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का नियम दिनांक 17.08.017

कोटि

निर्दत्त. 2पर

142

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....III/रीवा/भ-रा/2017/4176.....जिला.....रीवा.....

सुरेण कुमार आचार्य.....विरुद्ध.....कस्य कनी उपस्थिति.....

1	2	3
16-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....अंजुषा उपस्थिति..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील.....गुड़.....के प्रकरण क्रमांक.....19/अमीन/2017-18.....में पारित आदेश दिनांक.....17.08.17.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....रीवा.....के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक .....29-03-19.....को कलेक्टर.....रीवा.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य